भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1463
बुधवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर पैनल पर प्रतिबंध</u>

1463. श्री दरोगा प्रसाद सरोजः
श्री संजय हरिभाऊ जाधवः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सौर पैनल से संबंधित काम करने वाले उद्योगों पर कोई पर्यावरणीय प्रतिबंध लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों, विशेषकर लालगंज और परभणी संसदीय क्षेत्रों में स्थापित सौर पैनलों की संख्या और राज्यवार ब्यौरा क्या है और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने सौर पैनलों के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के तरीकों का पता लगाने हेतु वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए कोई पैनल गठित किया है;

(घ) क्या सरकार ने सौर ऊर्जा के उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले अन्य प्रकार के अपशिष्ट के निपटान के लिए कोई पर्यावरण अनुकूल प्रणाली विकसित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अप्रयुक्त और उपयोग न किए जा रहे सौर पैनलों से संबंधी कोई रिकॉर्ड है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (घ): (1) पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 02 नवंबर, 2022 को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया। ये नियम, दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 का स्थान लेंगे। इन नियमों के अंतर्गत सौर फोटो-वोल्टेक (पीवी) मॉड्यूलों या पैनलों या सेलों सहित विदयुत और इलेक्ट्रानिक उपकरणों से उत्पन्न ई-अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित प्रबंधन का प्रावधान है।

(2) इन नियमों के अनुसार, सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों या पैनलों या सेलों के प्रत्येक निर्माता और उत्पादक के लिए पंजीकरण करना, सौर पीवी मॉड्यूलों की सूची रखना, नियमों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2034-35 तक सौर पीवी मॉड्यूलों/सेलों से उत्पन्न अपशिष्ट का संग्रह करना, वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना, मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन करना और लागू अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार सौर पीवी मॉड्यूलों के अलावा अन्य अपशिष्ट को संसाधित करना अनिवार्य किया गया है। इसके

अतिरिक्त, सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों या पैनलों अथवा सेलों के पुनर्चक्रणकर्ता के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित सामग्री की प्राप्ति करना अनिवार्य किया जाएगा।

(ख) (1) देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित सौर विद्युत संयंत्रों का विवरण अनुलग्नक-**I** पर दिया गया है।

(2) आजमगढ़ जिले के अंतर्गत लालगंज सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित सौर विद्युत संयंत्रों का विवरण अनुलग्नक-**II** पर दिया गया है।

(3) परभणी सहित महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में स्थापित सौर विद्युत संयंत्रों का विवरण अनुलग्नक-**III** पर दिया गया है।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मौजूदा सौर पी.वी. पैनलों के पुनर्चक्रण के लिए उपकरण और प्रभावी प्रक्रिया विकसित करके, सौर पीवी पैनलों/मॉड्यूल्स के जीवन काल समाप्त होने पर उनकी पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण के लिए कुशल, पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीकों के विकास से संबंधित चुनौतियों पर परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए। विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(घ) उपरोक्त (क) और (घ) के समान।

(ङ) ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल विनिर्माताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं एवं रिफर्बिशर्स को ऑनलाइन ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। ई-अपशिष्ट ईपीआर पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 29.11.2024 की स्थिति के अनुसार सीपीसीबी में सोलर पैनलों/सेलों के 552 उत्पादक पंजीकृत हैं।

<u>अनुलग्नक-I</u>

'सौर पैनल पर प्रतिबंध' के संबंध में पूछे गए दिनांक 04.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

सौर ऊर्जा की राज्य-वार स्थापित क्षमता (दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार)		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	4650.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.72
3.	असम	180.77
4.	बिहार	257.34
5.	छत्तीसगढ़	1265.78
6.	गोवा	47.86
7.	गुजरात	15305.26
8.	हरियाणा	1905.19
9.	हिमाचल प्रदेश	137.29
10.	जम्मू एवं कश्मीर	73.89
11.	झारखंड	181.04
12.	कर्नाटक	8930.10
13.	केरल	1261.76
14.	लद्दाख	7.80
15.	मध्य प्रदेश	4248.69
16.	महाराष्ट्र	8133.57
17.	मणिपुर	13.79
18.	मेघालय	4.28
19.	मिजोरम	30.35
20.	नागालैंड	3.17
21.	ओडिशा	608.38
22.	पंजाब	1375.79
23.	राजस्थान	24553.13
24.	सिक्किम	7.56
25.	तमिलनाडु	9324.05
26.	तेलंगाना	4842.10
27.	त्रिपुरा	20.93
28.	उत्तर प्रदेश	3286.98
29.	उत्तराखंड	592.07
30.	पश्चिम बंगाल	310.47
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	29.91
32.	चंडीगढ़	75.51
33.	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	48.12
34.	दिल्ली	288.39
35.	लक्षद्वीप	4.97
36.	पुडुचेरी	52.27
37.	नाबार्ड परियोजनाओं सहित अन्य	45.01
कुल		**92119.18**

<u>अनुलग्नक-II</u>

'सौर पैनल पर प्रतिबंध' के संबंध में पूछे गए दिनांक 04.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सौर ऊर्जा की राज्य-वार स्थापित क्षमता (दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार)		
क्र.सं.	जिला	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)
1	आगरा	69.264
2	अलीगढ़	6.062
3	अम्बेडकर नगर	7.595
4	अमेठी	12.285
5	अमरोहा	2.335
6	औरैया	40.391
7	अयोध्या	47.211
8	आजमगढ़	3.097
9	बागपत	2.157
10	बहराइच	41.081
11	बलिया	0.334
12	बलरामपुर	0.394
13	बांदा	136.094
14	बाराबंकी	4.668
15	बरेली	27.65
16	बस्ती	1.268
17	भदोही	2.074
18	बिजनौर	32.847
19	बुदौन	190.285
20	बुलंदशहर	0.886
21	चंदौली	1.521
22	चित्रकूट	126.842
23	देवरिया	40.477
24	एटा	1.479
25	इटावा	1.837
26	फरुख्खाबाद	2.467
27	फतेहपुर	0.619
28	फिरोजाबाद	1.508
29	गौतम बुद्ध नगर	12.948
30	गाजियाबाद	9.462
31	गाजीपुर	5.264
32	गोंडा	0.737
33	गोरखपुर	3.983
34	हमीरपुर	24.573
35	हापुड़	0.617
36	हरदोई	61.076
37	हाथरस	1.886

38	जालौन	402.536
39	जौनपुर	1.98
40	झांसी	227.907
41	कन्नौज	7.785
42	कानपुर देहात	52.42
43	कानपुर नगर	243.063
44	कासगंज	0.326
45	कौशाम्बी	0.04
46	लखीमपुर खीरी	1.523
47	कुशीनगर	0.3
48	ललितपुर	81.479
49	लखनऊ	106.532
50	महाराजगंज	26.247
51	महोबा	225.609
52	मैनपुरी	5.976
53	मथुरा	6.576
54	मऊ	20.09
55	मेरठ	15.009
56	मिर्जापुर	131.087
57	मुरादाबाद	2.236
58	मुजफ्फरनगर	4.85
59	पीलीभीत	20.909
60	प्रतापगढ़	0.645
61	प्रयागराज	235.133
62	रायबरेली	16.759
63	रामपुर	0.541
64	सहारनपुर	63.807
65	संभल	0.246
66	संत कबीर नगर	0.222
67	शाहजहांपुर	91.789
68	शामली	0.557
69	श्रावस्ती	0.081
70	सिद्धार्थ नगर	0.482
71	सीतापुर	46.966
72	सोनभद्र	0.578
73	सुल्तानपुर	1.44
74	उन्नाव	16.742
75	वाराणसी	44.888
	कुल	3030.63 मेगावाट

अनुलग्नक-III

'सौर पैनल पर प्रतिबंध' के संबंध में पूछे गए दिनांक 04.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**III**

महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में सौर ऊर्जा की राज्य-वार स्थापित क्षमता (दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार)		
क्र.सं.	जिला का नाम	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)
1	अहमदनगर	164.56
2	अकोला	77.965
3	अमरावती	217.81
4	औरंगाबाद	119.89
5	बीड	228.9
6	भंडारा	0
7	बुल्धाना	230.2
8	चन्द्रपुर	10
9	धुले	477.965
10	गोंदिया	0
11	हिंगोली	64.2
12	जलगांव	253.5
13	जलना	489.85
14	कोल्हापुर	6.8
15	लातुर	168.06
16	नागपुर	133.318
17	नान्देड़	187.575
18	नन्दुरबार	2
19	नाशिक	170.235
20	धाराशिव	313.565
21	परभानी	203.22
22	पुणे	79.18
23	रायगढ़	0
24	रत्नागिरि	1
25	सांगली	14.56
26	सतारा	246.95
27	सिंधुदुर्ग	0
28	सोलापुर	826.218
29	वर्धा	78.18
30	वाशिम	0
31	यवतमाल	222.57
	कुल (क)	4988.271
	मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना (एमएसकेवीवाई) 2.0 - महाराष्ट्र सरकार द्वारा कार्यान्वित कुल (ख)	31
	रूफटॉप सौर विद्युत परियोजनाएं (कुल-ग)	2585.36
	कुल (क+ख+ग)	7604.631

*****